

2/4
17/11/13

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।


पत्र सं.- 6/ज.स.वि.-101-1एस.-20/2005-404 राँची,दिनांक-22-1-13

कार्यालय आदेश


मेसर्स अभय इंजिकोन्स प्रा. लि., दुर्गा गैरेज सुदना, डाल्टनगंज, पालमू (संवेदक श्रेणी-1 एस में निबंधित) द्वारा कॉची वीयर योजना के ध्वस्त शीर्ष के पुर्ननिर्माण कार्य की निविदा (दिनांक- 6.10.2010)/2/2010-11 में कार्यादेश प्राप्त करने निमित्त निविदा कागजातों के साथ फर्जी कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने संबंधी मामले में उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्रांक- 3984 दिनांक- 19.08.2011 द्वारा संबंधित कम्पनी को झारखण्ड इनलिस्टमेंट ऑफ कन्ट्रक्टर्स रूल्स 2001 के नियम- 18 (i) एवं (ii) के तहत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया।

(2.) उपर्युक्त के आलोक में संबंधित कम्पनी से प्राप्त स्पष्टीकरण/प्रत्युत्तर की समीक्षा विभागीय निबंधन समिति एवं विभाग स्तर पर की गई, जिसमें कम्पनी को उपरवर्णित आरोपों के लिए दोषी पाया गया।


(3.) अतएव संबंधित कम्पनी मेसर्स अभय इंजीकोन्स प्रा. लि., दुर्गा गैरेज, सुदना, डाल्टनगंज, पलामू को उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए घटना की तिथि 06.10.2010 से अगले 5 (पाँच) वर्षों के लिए झारखण्ड इनलिस्टमेंट ऑफ कन्ट्रक्टर्स रूल्स, 2001 के नियम 10 (i) एवं 18 (ii) के तहत कालीकृत किया जाता है।


17/10/13
(एस.के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

ज्ञापांक, 6/ज.स.वि.-101-1एस.-20/2005-404 राँची,दिनांक- 22-1-13
प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख-1 एवं 2 जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित) जल संसाधन विभाग/ मेसर्स अभय इंजीकोन्स प्रा. लि., दुर्गा गैरेज, सुदना डाल्टनगंज, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/10/13
(एस.के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

ज्ञापांक, 6/ज.स.वि.-101-1एस.-20/2005-404 राँची,दिनांक- 22-1-13
प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता योजना एवं मोनेटरिंग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक- 11.7. 2011 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/10/13
(एस.के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)